



भारतीय समाज के पथ प्रदर्शक: बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर

प्रो. रूसीराम महानंदा, आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
कृ. अमन, शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

सारांश

भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बाबा साहब एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वह एक सच्चे देशभक्त महान नेता एवं समाज सुधारक थे। उन्होंने देश के प्रति जो योगदान दिया है। उसको कोई नकार नहीं सकता। देश को कमजोर करने वाली समस्याओं को समझा, एक अन्वेषी की तरह इन सभी समस्याओं के कारणों का पता करने का प्रयास किया। हमारे समाज में जो जाति व्यवस्था का पौधा पनप चुका था। उसको समाज के लिए घातक मानते थे, यह प्रजातंत्र का भी विरोधी था। बाबा साहब वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था की जननी मानते थे। जो मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ अमानवीय व्यवहार करें, उसके साथ छुआछूत, भेदभाव बरते, वह मनुष्य सभ्य नहीं कहा जा सकता, जो समाज ऐसी रूढ़िवादी या मानवीय व्यवहार करने की आज्ञा दे वह एक सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। हमारे यहां आज जो विभिन्न प्रकार की कुप्रथाओं को अवैध करार दिया गया है। वह बाबा साहब के अथक व निस्वार्थ प्रयास का ही परिणाम है। बाबा साहब के विभिन्न लेख एवं भाषण क्रांतिकारी वैचारिकता एवं नैतिकता के दर्शन सूत्र हैं। भारतीय समाज के साथ-साथ संपूर्ण विश्व में जहां कहीं भी विषमता वादी भेदभाव या छुआछूत मौजूद है ऐसे समस्त समाज को दमन शोषण तथा अन्याय से मुक्त करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर का दृष्टिकोण व जीवन संघर्ष एक उज्ज्वल पथ प्रशस्त करता है। अतः मेरे द्वारा इस शोध पत्र में बाबा साहब द्वारा जिस समता मूलक स्वतंत्रता की गरिमा से पूर्ण बंधुता वाले समाज निर्माण के लिए देश की जनता का आह्वान किया था उसका सूक्ष्म अध्ययन कर लोगों को उनके योगदान से अवगत कराने का प्रयास किया गया है।¹

मूल शब्द – भारतीय समाज, सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, जाति व्यवस्था, दलित समाज, राजनीतिक विद्वान, न्यायविद, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री

प्रस्तावना

व्यक्ति पैदा होते ही किसी न किसी जाति वंश धर्म से संलग्न हो जाता है। जाति धर्म से व्यक्ति का जीवन नहीं चल सकता। बल्कि उसका कर्म ही उसके भविष्य और वर्तमान का आधार है। अगर हम अपने महापुरुषों की जीवन चरित्र पर प्रकाश डालें तो हमें यह ज्ञात होगा कि कोई भी व्यक्ति जातीय वंश या जन्म से महान नहीं होता है। बल्कि उसे यह महानता कठोर परिश्रम और त्याग का फल होता है। जो उसने अपने जीवन में संघर्ष के प्राप्त किया है। बाबा साहब एक ऐसे महानायक थे। जिन्होंने अपने जीवन में कितने अपमान और कष्ट सहकर भी हार नहीं मानी, और अपने आपको साबित किया कि वह अछूत होने से पहले वह एक इंसान है। अन्य धर्म के लोगों के जैसे जो कार्य अन्य धर्म और जाति के लोग कर सकते हैं। वह भी कर सकते हैं और उन्होंने अपने इसी दृढ़ संकल्प व आत्मविश्वास से करके दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया और मनुवादी हिंदू रूढ़िवादी समाज की काया पलट डाली।

बाबा साहब अछूत मानी जाने वाली जाति से पैदा हुए थे, अछूत होने के कारण उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। फिर भी उनका आत्मविश्वास डगमगाया नहीं वह विद्यालय के बाहर रहकर शिक्षा ग्रहण करते रहे। ऐसी ही ना जाने कितने अनगिनत मानव प्रताड़ना और संघर्षों का सामना करना पड़ा था। इतने संघर्षों के बाद उन्होंने अपने जीवन में जो उपलब्धि हासिल की है, वह हम सबके लिए एक मिसाल है। उन्होंने अपने देश की जनता में क्रांति पैदा कर अपने अधिकार व आत्मसम्मान पूर्वक जीवन जीने की व रूढ़िवादी समाज को जिस तरह परिवर्तित किया उसकी मिसाल दे पाना कठिन है।

बाबा साहब गणतंत्र व साम्यवाद को सम्मिलित कर जी स्वस्थ राष्ट्र और समाज का निर्माण करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। उन्होंने समाज में हिंदू धर्म द्वारा मान्य अस्पृश्यता को कानून पारित कर उसे हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव को नष्ट कर समान नागरिक अधिकार को संविधान द्वारा प्रदान किया व गणतंत्र की बुनियाद रखी। बाबा साहब एक महान और अभूतपूर्व व्यक्तित्व के धनी और उतना ही शिक्षाप्रद भी थे।²

भारतीय सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में डॉ० अम्बेडकर का योगदान—

बाबा साहब ने अपने जीवन संघर्ष से यह सिद्ध कर दिया कि कोई व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ऊँचा-नीचा होता है। निम्न जाति से होते हुए भी उन्होंने उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त की और विश्व में महान विद्वानों में अपना नाम किया। जबकि हिन्दू ग्रन्थ मनुस्मृति तो शूद्रों को शिक्षा का अधिकार तक नहीं देता। बाबा साहब यह मानते थे कि समाज में जो छुआछूत और रूढ़िवादी परम्परा व्याप्त है जिसकी मूल जड़े मनुस्मृति में हैं। अतः 1927 में क्रिसमस दिवस के अवसर पर उन्होंने (महाराष्ट्र) महाड़ के चौराहे पर सार्वजनिक रूप से उन्होंने मनुस्मृति के अमानवीय अंश जलाये उसी वर्ष उन्होंने महाराष्ट्र प्रान्त में



महाड़ सत्याग्रह का आह्वान किया। क्योंकि अछूतों को उस तालाब से पानी पीने का अधिकार नहीं था। जबकि उस तालाब में पशु-पक्षि प्रवेश कर सकते थे।

हिंदू धर्म के अनुसार भगवान तो सबके हैं लेकिन उस समय भगवान शायद गिनी चुनी जातियों के थे। तभी शूद्रों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था। नासिक के काराराम मंदिर में अछूत का प्रवेश वर्जित था। बाबा साहब ने श्रद्धा के प्रति इस मानवी व्यवहार को तोड़कर 1930 में सत्याग्रह किया और अछूतों को मंदिर में प्रवेश दिलाया।³ महात्मा गांधी भी अस्पृश्यता को समाज का कलंक मानते थे, लेकिन वह वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे जबकि बाबा साहब वर्ण व्यवस्था व जाति व्यवस्था दोनों के प्रबल विरोधी थे। वह वर्गविहीन, जाति विहीन समाज की स्थापना के समर्थक थे। जिसमें मनुष्यों के साथ पशुओं जैसा या पशु से भी बदतर व्यवहार किया जाए उस समाज में वह नहीं रहना चाहते थे। इसलिए वह मनुवादी रूढ़िवादी समाज को बदलने के पक्षधर थे। गौतम बुद्ध के बाद बाबा साहब ने भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत, जातिगत भेदभाव, उच्च-नीच को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास व संघर्ष किया।

उनका एक कथन है कि "मैं हिंदू समाज में पैदा हुआ हूँ, जो मेरे बस में नहीं था किंतु यह मेरे वश में है कि मैं हिंदू होकर नहीं मारुंगा।"

जीवन के अंतिम पड़ाव में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया क्योंकि बौद्ध धर्म सामान्य नैतिकता बंधुत्व सामाजिक न्याय पर आधारित था। बाबा साहब आरंभ से ही सामाजिक व राजनीतिक कार्यों को पूरे मन और लगन से किया था। इसलिए उन्हें सन् 1927 ई० में बांबे विधानसभा का सदस्य बनाया गया और 1928 ई० में "साइमन कमीशन" के समक्ष साक्ष्य देने हेतु देश के बड़े नेताओं के साथ उन्हें भी आमंत्रित किया गया।⁴ बाबा साहब की राजनीतिक पार्टी जैसे दल लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन तथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। इन के माध्यम से दलित और शोषितों को संगठित कर उन्हें मानवाधिकार दिलाने का प्रयास किया।

बाबा साहब श्रमिक वर्ग के लिए भी काफी चिंतित रहते थे। उनको अधिकार दिलाने के लिए उनको संगठित कर "लेबर पार्टी" की स्थापना की।⁵

1942 ई० में जब भारत के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में उन्हें श्रम सदस्य बनाया गया। उन्होंने इस पदवी के द्वारा श्रमिक वर्ग के कल्याण और अधिकार के लिए बहुत कार्य किया। श्रमिकों को सवेतन अवकाश दिलाया, न्यूनतम वेतन निर्धारण किया। मिलों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का सूत्रपात किया, श्रमिकों के विवाद निस्तारण के मध्यस्थता की व्यवस्था की।⁶

1919 में बाबा साहब दन्तोबापवार के माध्यम से कोल्हापुर नरेश के संपर्क में आए। साहू जी की आर्थिक सहायता से बाबा साहब ने 31 जनवरी 1920 में "मूकनायक" नामक पाक्षिक पत्र निकाला। मूकनायक के प्रकाशन की सार्वजनिक सूचना तिलक के "केसरी" पत्र में सशुल्क विज्ञापन के रूप में छपवानी थी। परन्तु तिलक के जीवित रहते कभी वह सूचना केसरी में प्रकाशित नहीं की गयी। इससे उस समय की सामाजिक, संकिर्णता कठोर दुर्व्यवहार, अक्षम्य अन्याय का अनुमान लगाया जा सकता है। "मूकनायक" के प्रथम अंक में डॉ० अम्बेडकर ने लिखा कि भारत असमानता का भवन है, यह उस टावर की भांति है। जिसमें न तो सीढ़ी है और न प्रवेश द्वारा जो जिस कक्ष में जन्मा उसे उसी में रहकर मरना है।

हिन्दू धर्मानुसार जड़, चेतन, पशु, पक्षी, सभी में भगवान व्याप्त है किन्तु वर्ण व्यवस्था द्वारा भगवान का प्रति निधि ब्राह्मण ही क्यों है? समाज में तीन वर्ग हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और अछूत। जब सभी में भगवान है, तो छूत-अछूत का भेद क्यों?

मुख नायक के दूसरे अध्याय में बाबासाहेब ने लिखा कि राजनीतिक स्वतंत्रता से सामाजिक स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण है।⁷

सामाजिक न्याय पर एक सशक्त आवाज उठाते हुए बाबासाहेब ने शोषित वर्ग का संबोधित करते हुए कहा था कि अपनी सहायता स्वयं करो अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर अहिंसक अपने प्राकृतिक अधिकारों को प्राप्त करो हम कह सकते हैं कि बाबा साहब ने दलितों की स्थिति सुधारने में किसी देवी सहायता या चमत्कार से इनकार कर दिया है तथा तात्कालिक हिंदू धर्म की व्यवस्थाओं में अनास्था जताते हुए उसे सामाजिक विभेदीकरण की जड़ सिद्ध किया है।⁸

जुलाई 1924 में बाबा साहब ने सामाजिक संगठन बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई इसका उद्देश्य यह था कि अछूत वर्ग को यह संदेश देना कि उन्हें अपने उद्धार के लिए स्वयं अपने पैर पर खड़ा होना होगा 1925 में बाबा साहब ने रत्नागिरी जिले के मालाबार गांव में मुंबई अस्पृश्यता परिषद की स्थापना की इसका उद्देश्य शोषित वर्ग को शिक्षा प्रसार छात्रावास वाचनालय खेलना औद्योगिक एवं कृषि विद्यालय



सामाजिक सुरक्षा अस्पृश्यता उन्मूलन आंदोलन को गति देना था उनके उद्धार के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया।⁹

डॉ भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलनों में शोषित वर्ग के पक्ष को बड़ी दृढ़ता पूर्वक रखा व उनकी मांगों के लिए भी अटल रहे। गांधी जी के साथ 1932 में पूना समझौता में इस समस्या को प्रमुखता मिल गई बाद में अस्पृश्यता निवारण के लिए कांग्रेस का आंदोलन भी व्यापक रूप लेने लगा गांधी जी 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत निवारण संघ की स्थापना की थी। बाबा साहब ने इसमें यह सुझाव दिया कि इनमें अछूतों का बहुमत होना चाहिए जिसे इनका आर्थिक शैक्षिक सामाजिक उत्थान हो।¹⁰

संवैधानिक प्रावधान

बाबा साहब एक ऐसे सामाजिक न्याय व्यवस्था के समर्थक थे जहां मनुष्य की स्थिति उसकी योग्यता और उपलब्धियां पर आधारित होती हो। जहां कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के कारण महान अछूत नहीं होता माना जाता हो। भारत का संविधान जिसे बाबा साहब के प्रारूप समिति की अध्यक्षता में निर्माण किया गया था। उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो सभी नागरिकों के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के साथ-साथ स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व को सुरक्षित करता है।¹¹ 1946 में जब बाबा साहब भारत की संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया तो उन्होंने इस उद्देश्य से स्वीकार किया था कि इसके माध्यम से वह दलितों की हितों की रक्षा कर सकेंगे। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को धर्म, जाति, रंग, लिंग व संप्रदाय के आधार पर बिना भेदभाव के सभी को समानता स्वतंत्रता व सामाजिक न्याय का समान अधिकार प्रदान किया। संविधान द्वारा बाबा साहब ने छुआछूत का उन्मूलन ही नहीं किया बल्कि उसे एक दंडनीय अपराध भी घोषित किया। सरकारी सेवाओं में एससी-एसटी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण दिया ताकि वह भी उच्च वर्ग के लोगों की तरह शिक्षा और सरकारी योजना का लाभ उठाकर अपना विकास कर सकें। लोकसभा व विधानसभा में या एससी, एसटी, के आरक्षण की व्यवस्था की। सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक विकास हेतु एससी एसटी की तरह पिछड़ी जातियों के लिए संविधान में कोई आरक्षण नहीं दिया गया। जिसका खेद बाबा साहब को हमेशा से रहा। वह चाहते थे कि एससी एसटी की तरफ ओबीसी भी मिलकर संघर्ष कर अपना अधिकार प्राप्त कर विकास करें। 25 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने एक दिन पूर्व उन्होंने कहा था। आज हमारा कार्य समाप्त हुआ।

कल भारत में नए सूर्य का उदय होगा और नए भारत को राजनीतिक स्वाधीनता व स्वतंत्रता प्राप्त होगी। किंतु सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति अभी बाकी है।¹²

संविधान सभा में बाबा साहब द्वारा किए गए भाषण तथा उनके द्वारा लिखित पुस्तक "स्टेट्स एण्ड माइनॉरिटीज", हॉट कांग्रेस एण्ड गांधी हैव टू डन टू द अनटचेबिल्स" बाबा साहब द्वारा गठित पार्टी "रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया" घोषणा पत्र उनके राजनीतिक विचारों के दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। बाबा साहब ने भारत के राजनीतिक व वर्तमान राजनीति को "एक व्यक्ति, एक वोट, और एक मूल्य (One Man, One Vote, One Value) का आधारभूत सिद्धांत दिया। जो भारत के संविधान का वह शासन व्यवस्था का आधार है।¹³

महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 15 अगस्त 1946 को प्रथम विधि मंत्री पद की शपथ ली। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। कांग्रेस ने अम्बेडकर के गुणों का सम्मान किया 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। जिस समानता की लड़ाई बाबा साहब लड़ रहे थे, उन्हें वह अधिकार संविधान द्वारा आधिकारिक रूप से प्राप्त हो गया।¹⁴

अस्पृश्यता विषय अपराध विधेयक पर 6 सितंबर 1954 को राज्यसभा में बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अस्पृश्यता के प्रति अपराध करने वालों को सजा दिए बिना उन्मूलन नहीं होगा। सामाजिक बहिष्कार करने वालों को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि वे लोग अपनी अच्छी स्थिति के कारण देहातों में अस्पृश्यों का बहिष्कार करते हैं। अस्पृश्यों को संविधान से प्राप्त अधिकारों के उपयोग में वे लोग उनसे द्वेषभाव कर सकते हैं।¹⁵

इसलिए संविधान निर्माण कर्ताओं ने 29 अप्रैल 1947 को छुआछूत को अपराध घोषित किया। संविधान निर्मात्री सभा ने पूरे विश्व को संबोधित करते हुए कहा कि अस्पृश्यता रूढ़ीबद्ध हो गई। किसी भी रूप में या शेष नहीं रहेगी किसी भी अस्पृश्य व्यक्ति पर दुर्बलता लादी गई तो वह गुनाह माना जाएगा।¹⁶

महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने उसी प्रकार संघर्ष किया जिस प्रकार दलितों के मान सम्मान के लिए किया। कानून मंत्री बनने पर बाबा साहब ने महिला दलित के अलावा सभी वर्गों की महिलाओं के लिए "हिंदू कोड बिल" नामक विधेयक तैयार किया लेकिन किसी कारणवश यह संविधान में उनके जीते जी पारित नहीं हो सका। बाबा साहब ने भारत को एक विस्तृत संविधान



दिया, संविधान द्वारा उन्होंने सभी नागरिकों को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष के कल्याणकारी सुरक्षा का प्रावधान किया। आज भी कुछ लोग बाबा साहब को केवल अस्पृश्यता जाति का उद्धारक कह उनके महान बलिदान को सीमित कर देते हैं। जिस तरह संघर्ष कर देश में समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व स्थापित किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व के कार्यों व योगदान से आज भी भारतीय नर नारी अपरिचित हैं।¹⁷

निष्कर्ष

कोई व्यक्ति जब अपने लक्ष्य की प्राप्ति के सतत प्रयासरत तथा उसके लिए अभियान आंदोलन द्वारा संघर्ष करता रहता है तो इसी के साथ उसके व्यक्तित्व की गरिमा व प्रभाव में वृद्धि होती रहती है। इसी बात का उदाहरण है— बाबा साहब अंबेडकर बाबा साहब का व्यक्तित्व बहुआयामी एवं अत्यंत विशाल था डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक भेदभाव को केवल देखा मात्रा नहीं था बल्कि उसी में उन्होंने जीवन जीया और उसे महसूस भी किया था। शायद इसलिए उनका भारतीय समाज के प्रति अति यथार्थवादी दृढ़ संघर्ष सुनियोजित तीव्र चिंतन एवं वाणी अत्यंत कटु थी। बाबा साहब हिंदू धर्म से नहीं बल्कि हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों से नफरत करते थे। वह एक सामाजिक विचार वाले व्यक्ति थे। जिनका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को समान न्याय वह अधिकार दिलाना था। बाबा साहब जीवन भर समाज के शोषित वर्ग, पिछड़े वर्ग महिलाओं के अधिकार, आत्म सम्मान के संघर्ष किया। अछूत जैसी मानवी व्यवहार को दंडनीय करार दिया उसके लिए कानून पारित किया। उन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परंपरा उच्च-नीच, भेद-भाव को कानूनी रूप से अवैध घोषित किया। बाबा साहब ने समाज में एकता कायम करने के लिए विभिन्न प्रयास किया उनका एक कथन यह भी था कि “शिक्षित वनों संगठित रहो और संघर्ष करो” यह संदेश बाबा साहब द्वारा समस्त देशवासियों के लिए था।

अनुसूचित जाति को समाज में सम्मान और स्थान दिलाने के लिए बाबा साहब ने रैम्जे मैकडोनाल्ड सरकार के अधीन आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 पृथक चुनाव प्रणाली के मुद्दे को उठाया परंतु गांधी जी के आह्वान की वजह से उन्हें पूना समझौता कर संयुक्त चुनाव प्रणाली स्वीकार कर ली। बाबा साहब का विश्वास था कि वर्ण व्यवस्था ही दलित और समाज के पिछड़ेपन का कारण है। आज के समय भी छुआछूत और भेदभाव जैसी मानवीय व्यवहार व्याप्त है। जो वर्ण व्यवस्था और मनुस्मृति का ही प्रभाव रहा है। बाबा साहब ने अछूतों की दैनिक स्थिति सुधारने उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने से महिला अधिकार सामाजिक आर्थिक-न्याय के लिए जो संघर्ष किया है वह शायद ही किसी ने किया हो। “उनका यह योगदान हमारे लिए वरदान है।” वह जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे वह ऐसी किसी भी परंपरा या प्रथा का समर्थन नहीं करते थे। जिसमें किसी व्यक्ति की गरिमा आत्मसम्मान और जीवन को हानि हो। इसलिए वह एक स्वतंत्रता समानता पर आधारित बंधुत्व वाली स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहते थे। जिसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया था। हम कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान समाज सुधारक राजनीतिज्ञ महान अर्थशास्त्री वह विद्वान थे। उन्होंने जो समाज को संगठित करने का प्रयास किया इसके लिए पूरा देश उनका ऋणी रहेगा।

सन्दर्भ सूची

1. बाबा साहब डॉ० अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड-14 डॉ० अंबेडकर प्रतिष्ठान नई दिल्ली 01 “अछूत कौन थे, और वह अछूत कैसे बने”
2. मून बसंत : डॉ० बाबा साहब अंबेडकर – नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया नई दिल्ली-1991 पृष्ठ संख्या 1-2
3. कृष्णदत्त पालीवाल: डॉ० अंबेडकर और समाज व्यवस्था एस.एन. प्रिंटर्स दिल्ली (1996)
4. प्रो० एस.एन. श्रीवास्तव: आधुनिक भारत में जाति राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली 2001
5. ए. आर. देसाई : भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि – मैकमिलन इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली
6. राम आहूजा : भारतीय सामाजिक व्यवस्था रावत पब्लिकेशन जयपुर एवं नई दिल्ली (1995)
7. बा.ना. कुबेर : अंबेडकर : एक विचारमंथन लोक वाङ्मय गृह मुंबई 1982
8. बसंतमून : डॉ० बाबा साहब अंबेडकर : राष्ट्रीय जीवन चरित्र नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया
9. सागर एस. एल. (2000) डॉ० अंबेडकर संक्षिप्त जीवन परिचय सागर प्रकाशन मैनपुरी (पृष्ठ संख्या 6)
10. कुबेर डब्ल्यू एन० (1995) आधुनिक भारत के नियति, डॉ० अंबेडकर
- 11- Pyllee. M.V. (2006): “Constitutional Government in India” New Delhi : S. Chand and Company, Sixth Edition, Page No. 59.
12. ए आर देसाई भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि में मैकमिलन इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली
13. वा.ना. कुबेर : अंबेडकर “एक विचार मंथन” लोक वाङ्मय गृह मुंबई 1982
14. पटोरिया राजेंद्र (1996) डॉ० अंबेडकर चित्रमय जीवनी पृष्ठ संख्या 41



15. कीर धनंजय (1996) डॉक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर : जीवन चरित्र, पापुलर प्रकाशन प्रा० लि० नई दिल्ली पृष्ठ संख्या-434
16. कीर धनंजय (1996) डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जीवन चरित्र पापुलर प्रकाशन प्रारंभिक लिमिटेड नई दिल्ली, (पृष्ठ संख्या-342)
17. मेघवाल कुसुम (2005) भारतीय नारी के उद्धारक डॉ भीमराव अंबेडकर संपर्क प्रकाशन नई दिल्ली (पृष्ठ संख्या 78)

